# न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– कुणाल राहड (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–76 / 2023

1. सवाई सिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री डालूराम
2. अणची देवी उम्र 72 वर्ष पत्नि स्व0 रामेश्वर
3. करणीराम उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर
4. झाबरमल उम्र 54 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर
5. शिशुराम उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर
6. हरिसिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर
7. जगदीश प्रसाद उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 जमनाराम
8. मेघसिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व0 जमनाराम
9. मानराज उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 जमनाराम
10. रघुवीर सिंह उम्र 61 वर्ष पुत्र स्व0 जमनाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पिलियो का ढहर पोस्ट गुगारा तहसील व जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम उम्र 61 वर्ष पुत्र हीरा
2. बाबुलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र हीरा
3. बद्रीप्रसाद उम्र 57 वर्ष पुत्र हीरा
4. दिनेश कुमार उम्र 52 वर्ष पुत्र हीरा
5. भोलराम उम्र 56 वर्ष पुत्र कालूराम
6. प्रभूदयाल उम्र 54 वर्ष पुत्र कालूराम
7. राजूराम उम्र 52 वर्ष पुत्र कालूराम
8. सुरेश कुमार उम्र 48 वर्ष पुत्र कालूराम
9. मीरा उम्र 45 वर्ष पुत्री कालूराम
10. सुशीला उम्र 42 वर्ष पुत्री कालूराम

    समस्त जाति रैगर निवासीगण खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

11. भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तारपुरा तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबधक।
13. बी.आर.के.जी.बी. शाखा तारपुरा तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री प्रभातीलाल, वकील वादीगण की ओर से।

**दावा बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

*:निर्णयः*

दिनांक 5/12/24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम तारपुरा पटवार हल्का तारपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में भूमि के खसरा नं 1446, 1449, 1450 एवं 1451 कुल किता 4 कुल रकबा 3.17है0 अवस्थित है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण जमाबंदी मे दर्ज हिस्सानुसार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। दावे मे प्रश्नगत कृषि भूमियो का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बटवारा नही होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमियो का समुचित विकास नही कर पा रहे है। इस कारण वादीगण अपने पांती व हिस्से की भूमि का बाई मीटर एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवाना चाहते है।

वाद पेश होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा विधिवत तामील करवायी गई। दिनांक 04.01.2024 प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 की विधिवत रजिस्टर्ड तामील के उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 04.01.2024 को वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 01.10..2024 को तहसीलदार सीकर के पत्राक भ.अ/24/4496 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.) सीकर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) सीकर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है।

वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 2 एवं 3 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 4 व 5 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारात भी सहमत है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

**:आदेश:**

परिणामतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भ.अ/24/4496 दिनांक 30.07.2024 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(कुणाल राहड)
सहायक कलक्टर (द्वितीय),सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

यह फैसला आदिनांक 5/12/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर